



J.E.S. COLLEGE (B.Ed.)

Near Gatora Rly. Station, Gram Farhada, Bilaspur (C.G.)
Ph. : 407035, Fax : 07752-407159

प्रबंधन एवं प्रशासन समिति

यह महाविद्यालय जामिया एजुकेशन सोसायटी बिलासपुर के द्वारा संचालित है। इस महाविद्यालय के प्रबंध नियंत्रण एवं संचालन का उत्तरदायित्व महाविद्यालय की प्रबंधन समिति को है इसका गठन विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार हुआ है।

प्रवेश नियम

- व्यापम द्वारा आयोजित प्री.बी.एड. की परीक्षा के आधार पर एस.सी.आर.टी रायपुर द्वारा आयोजित काउंसलिंग के माध्यम से आबंटित स्थान के अनुसार ही प्रवेश लिए जा सकेंगे।
- बी.एड. में प्रवेश के आधार के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य शासन/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् भोपाल/संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित निर्देशों का पालन किया जावेगा।
- बी.एड. प्रशिक्षणअवधि में किसी विवाहित महिला प्रशिक्षार्थी को मातृत्व अवकाश की पात्रता नहीं होगी। अतएव बी.एड. में प्रवेश लेने के पूर्व महिला प्रशिक्षार्थी यह सुनिश्चित करें कि उसे जुलाई से अप्रैल की अवधि में मातृत्व की आवश्यकता होगी या नहीं। बी.एड. प्रशिक्षण की अवधि में मातृत्व अवकाश में जाने वाली महिला का प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।
- बी.एड. प्रवेश हेतु निर्धारित समस्त शुल्क एकमुस्त जमा करने पर ही प्रवेशार्थी का बी.एड प्रवेश सुनिश्चित माना जाएगा।
- बी.एड. प्रवेश प्राप्त प्रशिक्षार्थी यदि अपना प्रवेश निरस्त करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है, परन्तु उसका प्रवेश शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

बी.एड. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनवार्य हैं।

1. प्री. बी.एड. की अंकसूची (जो व्यापम रायपुर द्वारा जारी की गई हो।)
2. महाविद्यालय आबंटन आदेश (जो एस.सी.आर.टी. रायपुर द्वारा जारी की गई हो)
3. हाईस्कूल, हायरसेकेण्डरी एवं स्नातक (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्षों) के प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
4. मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र। (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) एवं मूल चरित्र प्रमाण पत्र।
5. छ.ग. के बाहर या संबंधित विश्वविद्यालय के बाहर से आये प्रशिक्षार्थियों को प्रवजन प्रमाण-पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) की मूल प्रति।
6. छ.ग. की स्थायी निवासी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना। छ.ग. के बाहर के प्रवेशार्थियों को ीाी अपने राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित

छायाप्रति पत्रस्तुत करना होगा।

7. नाम, उपनाम परिवर्तन संबंधी शपथ पत्र की मूल प्रति।

8. पासपोर्ट आकार के चार छायाप्रति (नाम लिखा हुआ)

9. उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा अभिप्रमाणित एवं सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र (केवल अनुसूचित जाति, अ.ज.जा, एवं अ.पि.व.के लिए लागू) की अभिप्रमाणित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (प्रवेश के समय) महाविद्यालय कार्यालय में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

Sain
PRINCIPAL
JES COLLEGE
MAM-FARHADA, B.II ASP